

### डा. जीएन कर्ण की पुण्यतिथि पर वेबिनार कर दी गई श्रद्धांजलि

<https://www.jagran.com/bihar/madhubani-a-webinar-was-done-on-the-death-anniversary-of-dr-gn-karna-22379454.html>

एसडीआरएस, नई दिल्ली की नीति आयोग में विकलांगता विशेष कार्य दल के चेयरमेन, एनएचआरसी में विकलांगता कोर ग्रुप के सदस्य व जेएनयू के विकलांगता अध्ययन विशेषज्ञ रह चुके स्व. डॉ. गजेन्द्र नारायण कर्ण को उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर वेबिनार के माध्यम से याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्व. कर्ण बिहार के ही मधुबनी जिले के बाबूबरही प्रखंड के तेघड़ा गांव के निवासी थे। बचपन से ही उनके दोनों हाथ और पैर पोलियो से ग्रसित थे। आज भी स्व. डॉ. कर्ण की लिखी कई पुस्तकें देश के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। डॉ. कर्ण के लिखे जर्नल विश्व के कई देशों के प्रतिष्ठित लाइब्रेरी में हैं। डॉ. कर्ण जीवनपर्यंत एसडीआरएस के माध्यम से पूरे देश में विकलांगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए कार्यरत थे।

सीआरआरआईडी के सहायक प्राध्यापक विकास कुमार ने संचालन और डॉ. कर्ण की पत्नी व एसडीआरएस नई दिल्ली की प्रेसिडेंट डॉ. संध्या कुमारी ने वेबिनार में उपस्थित लोगो के प्रति आभार व्यक्त किया। डॉ. जीएन कर्ण को वेबिनार के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में जेएनयू के प्रो. सत्य नारायण प्रसाद व डॉ. रूबी सिंह, तारानंद मल्लिक (नेपाल), डॉ. असीमा नेहरा (दिल्ली एम्स), डॉ. अनिल कुमार व डॉ. प्रो. एसडी कुलकर्णी (भोपाल), सीए आशीष नीरज (दिल्ली), डॉ. गौतम गवली (मुम्बई), पवन राठौर, प्रीति श्रीवास्तव, मधुरेन्द्र लाल, रमन कुमार, सन्तोष कुमार, अनुपम आशीष, अनुराग कर्ण, अभिज्ञान कर्ण, नूतन कुमारी, पंकज कुमार, आस्था कर्ण, रोहित कुमार आदि प्रमुख थे।

वेबिनार में देश के जाने-माने प्राध्यापकों, शिक्षाविदों, राजनीतिक व आम लोगों ने भाग लेकर उनके द्वारा किये गए कार्यों को याद किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. श्रीधरन, सहायक प्राध्यापक सीआरआरआईडी डॉ. विकास कुमार, डॉ. राहुल रंजन, उप मुख्य विकलांगता आयुक्त डॉ. एसके प्रसाद, दिल्ली कैंट छावनी बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट मनीष सिंह, बीआर अंबेडकर कॉलेज दिल्ली के प्राचार्य डॉ. जीके अरोड़ा, प्रिंसिपल एआरएसडी दिल्ली डॉ. ज्ञानतोष झा, सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पश्चिम बंगाल के सीओओ डॉ. पीएच मिश्रा, जेएनयू के प्राध्यापक प्रो. देव शंकर नवीन, निदेशक कर्णावती विश्वविद्यालय गुजरात के डॉ. किशोर भानुशाली, जदयू के प्रदेश सचिव मनोज लाल दास मनु ने डॉ. कर्ण को याद करते हुए उन्हें विकलांगता के खिलाफ सरकार और आम जनता को जागरूक करने वाला सेनानी बताया। एसडीआरएस नई दिल्ली के निदेशक अजय कुमार कर्ण ने कहा कि विकलांगता की आवाज उठाने के लिये डॉ. कर्ण ने जो एसडीआरएस का ईजाद किया था, उनकी लौ को किसी भी कीमत में बुझने नहीं दिया जायेगा। उनके अधूरे कार्यों और उनकी सोच को हर हालत में समाज के साथ-साथ सरकार के बीच ले जाया जायेगा।

**दारोगा लालजी यादव आत्महत्या केस: शव पहुंचा साहिबगंज, सीबीआई जांच के लिए सड़क जाम, पलामू एसपी पर बड़ा आरोप**

<https://www.jagran.com/jharkhand/dhanbad-si-lalu-yadav-suicide-news-sahibganj-people-blocked-road-for-cbi-investigation-into-nawabazar-police-station-suspended-sho-lalu-yadav-suicide-case-22377355.html>

पलामू जिला पुलिस बल के सब इंस्पेक्टर लालजी यादव का शव गुरुवार सुबह साहिबगंज पहुंचा। उनके शव पहुंचने पर लोग काफी आक्रोशित दिखे। सड़क जाम कर लालजी यादव आत्महत्या केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लोगों ने पलामू पुलिस के बड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। आत्महत्या के लिए पलामू एसपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि सीबीआई जांच से ही सच्चाई सामने आएगी। आरोप है कि एसपी वसूली के लिए दबाव बनाते थे। इससे पहले बुधवार को साहिबगंज भाजपा ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद कार्यालय के सामने मानव शृंखला बनाई। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की।

**सरकारी आवास में लटका मिला शव**

मालूम हो कि लालजी यादव पलामू जिले के नावाबाजार थाना प्रभारी थे। वे निलंबित थे। 11 जनवरी मंगलवार की सुबह उनका शव थाना परिसर स्थित क्वार्टर में पंखे से लटकता मिला था। नगर परिषद उपाध्यक्ष सह भाजपा नेता रामानंद साह ने इस दौरान कहा कि लालजी की मौत के मामले की सीबीआई जांच हो ताकि पता चल सके कि यह हत्या है या आत्महत्या। आरोप लगाया कि लालजी की साजिश कर हत्या की गई है। यह भी कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। झारखंड के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साह ने बताया कि कोरोना से बचने के उपायों को अमल में लाकर उनकी मौत की सीबीआई जांच को बनाई मानव शृंखला बनाई है। इसमें धर्मेन्द्र कुमार, अनिमेश सिन्हा, ज्योति शर्मा, दिनेश पांडे समेत अनेक कार्यकर्ता थे।

इधर राजमहल व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता सह इक्षहदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष संत कुमार घोष ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र भेजा है। लालजी को वरीय पुलिस पदाधिकारी द्वारा प्रताड़ित करने व षड्यंत्र रचकर हत्या किए जाने की आशंका जताई है। कहा- नावाबाजार थाना क्षेत्र में बड़े अवैध धंधे होते थे, रुपये की उगाही होती थी। लालजी इसका विरोध करते थे। इस कारण उन्हें वरीय पदाधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। छह जनवरी को पलामू के डीटीओ से उनकी बहस हुई थी। डीटीओ ने एसपी से शिकायत की। इसके बाद लालजी निलंबित कर दिए गए। थाना प्रभारी की बाइक तथा मोबाइल गायब है। पलामू में उनके पक्ष में जनता सड़क पर उतरी जो उनकी कर्तव्यनिष्ठा दर्शाती है।

**गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार से पुलिस एंकाउंटर्स पर ...**

<https://businesssandesh.in/guwahati-high-court-asks-assam-government-to-file-detailed-affidavit-on-police-encounters/>

मंगलवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मंगलवार को असम सरकार से कहा कि वह मई 2021 में राज्य में भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद से हो रही पुलिस मुठभेड़ों पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करे।

अधिवक्ता आरिफ़ एमडी यासीन जवादर द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने असम के महाधिवक्ता देवजीत लोन सैकिया से मुठभेड़ों से संबंधित विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा।

उन्होंने बताया की हलफनामा गृह और राजनीतिक विभाग तैयार करेगा और दाखिल करेगा।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख तय की है।

अधिवक्ता जवादर के अनुसार अदालत ने प्रमुख सचिव (गृह) या अतिरिक्त सचिव (गृह) को कथित फर्जी मुठभेड़ों पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा।

प्रख्यात अधिकार कार्यकर्ता इंदिरा जयसिंह ने याचिकाकर्ता की ओर से मामले में तर्क दिया।

जवादर ने दावा किया कि सैकिया ने अदालत को सूचित किया कि मुठभेड़ों के बारे में मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है लेकिन जयसिंह ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जयसिंह ने अदालत से आग्रह किया कि यदि मामले दर्ज किए गए हैं तो राज्य को अपनी वेबसाइट पर प्राथमिकी अपलोड करने का निर्देश दें।

जवादर ने अपनी याचिका में अदालत की निगरानी में सीबीआई, एसआईटी या अन्य राज्यों की पुलिस टीमों जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है।

साथ ही याचिकाकर्ता ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने और पीड़ित परिवार को उचित सत्यापन के बाद आर्थिक मुआवजा देने की भी मांग की।

इससे पहले, याचिकाकर्ता ने मई 2021 से हुई मुठभेड़ों की श्रृंखला को लेकर असम पुलिस के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के साथ कथित फर्जी मुठभेड़ों पर शिकायत दर्ज की थी। एनएचआरसी ने नवंबर 2021 में मामले को असम मानवाधिकार आयोग (एएचआरसी) को स्थानांतरित कर दिया, जिसने कथित फर्जी मुठभेड़ों का भी स्वतः संज्ञान लिया था और असम सरकार से रिपोर्ट मांगी थी।

## **Vandalism of tribal, dalits' houses: NHRC seeks fresh ATR from Collector**

<https://www.orissapost.com/vandalism-of-tribal-dalits-houses-nhrc-seeks-fresh-atr-from-collector/>

The National Human Rights Commission (NHRC) has sought a fresh report from the Kalahandi Collector about alleged vandalism on the houses of some tribal and Dalit families living at Bhatapani and in a forest under Koksara block in the district. Local police allegedly failed to take action against those involved in such activities and favoured them. The human rights body has again ordered the district administration to file fresh action taken report (ATR) on the issue within six weeks. It is worth mentioning here that the NHRC had earlier sought the report twice from the Collector and the SP about the incident. However, the SP had submitted the police investigation report in this regard and stated that five people involved in the matter had been booked. However, no person was arrested in this connection. In case of atrocities on tribals and Dalits, the accused are immediately arrested as per legal provision. In the complaint at the NHRC, it was stated that the police had tried to settle such a sensitive issue through a peace committee.

## **Dhankhar says after CS, DGP skip meeting for second time**

<https://www.sentinelassam.com/national-news/dhankhar-says-after-cs-dgp-skip-meeting-for-second-time-572919>

Few hours after West Bengal Chief Secretary HK Dwivedi, and DGP Manoj Malaviya skipped their meeting with the Governor — second time in three days — a furious Jagdeep Dhankhar criticised the two top government officials, saying it "has dealt a spinal blow to the reputation of the services they belong". In a Twitter post on Wednesday, the Governor said: "It is a matter of very serious concern. The Chief Secretary and the DGP of the state have chosen to boycott meetings with the Governor in the last three days. This is serious incondonable constitutional lapse and has dealt a spinal blow to the reputation of the services they belong." "Their conduct as a matter of fact was observed by the National Human Rights Commission that in the state of West Bengal there is law of the ruler and not the rule of law. I have noticed that the chief secretary of the state aggravates his conduct habitually by not responding and always taking a derogatory and diversionary route. These senior officials rather than upholding the supremacy of the constitution and democratic values have chosen to decimate the same," he said. "I am Constitutionally ordained 'to preserve, protect and defend the Constitution and the law' would now ensure that these officials get into constitutional groove. They have damaged the reputation of their services, reputation of the office they hold and have compromised democracy in the state of West Bengal," he added. His reaction came after the two top government officials skipped their meeting with the Governor, scheduled at 11 a.m. in the morning where the two officers were supposed to brief him on the incident of Suvendu Adhikari where he was allegedly stopped from entering Netai at Binpur Block in Jhargram on Friday. On Friday, the Leader of the Opposition Suvendu Adhikari had written to the Governor alleging that he was not allowed to go to Netai. Suvendu had complained that on his way to Netai in West Midnapore on Friday, a huge contingent of West Bengal Police blocked his way, barricading the whole road. He also alleged that he was stopped despite an assurance from the AG to the High Court that the Leader of the Opposition was free to go anywhere in the state. Earlier, the Governor had asked the duo to be present before him on Monday at 5 p.m. but they did not appear and sent a note to the head of the state that they were unable to be present because they were too busy with the Gangasagar Mela. Responding to their reply, the Governor sent a letter to them on Tuesday saying: "Surely, this is a serious dereliction of duty. There is no reason for him not to respond to the pointed issues raised." "Both CS and DGP will be present in the meeting tomorrow at 11 am," he added. (IANS)